भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4598
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों के लिए जलापूर्ति

4598. श्री मनोज कुमारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों के शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में जलापूर्ति का एक स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा बिहार के सासाराम और कैमूर के शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में जलापूर्ति के नए स्रोतों के सृजन के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। 'पेयजल' राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, कैमूर जिले के औधुरा ब्लॉक की 6 पंचायतों में सतही जल पर आधारित एक बहु-ग्राम योजना प्रस्तावित है। इसी तरह रोहतास जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 114 सौर ऊर्जा-आधारित जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है। कैमूर और रोहतास जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में शेष परिवारों या नव विकसित बसावटों के लिए, राज्य सरकार द्वारा नई योजनाएं लायी जा रही हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करने तथा राष्ट्रीय मिशनों अर्थात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा 'अमृत 2.0' के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के स्थायी प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अमृत को 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों (विलय बाद 485) में शुरू किया गया था जबकि अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को देश के सभी सांविधिक शहरों को कवर करते हुए शुरू किया गया था ताकि जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन से संबंधित दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का डिजाइन, अनुमोदन, प्राथमिकता देने तथा कार्यान्वयन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य की उच्च अधिकार-प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) तथा अमृत 2.0 के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मंजूरी दी जाती है।

बिहार के रोहतास जिले के शहरी क्षेत्रों में, अमृत के तहत 186.82 करोड़ रुपये की लागत वाली 03 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गईं और ये पूरी हो चुकी हैं, जबकि अमृत 2.0 के तहत 98.98 करोड़ रुपये की लागत वाली 02 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, कैमूर जिले के किसी भी शहर को अमृत के तहत कवर नहीं किया गया था और अब तक, अमृत 2.0 के तहत जिले में किसी भी परियोजना को अभिचिह्नित नहीं किया गया है।

*****